ISSN - OLD-2231-3613, NEW-2455-8729
International Educational Journal
UGC APPROVAL NO. - 42652
CHETANA

Received on 5th July 2017, **Revised** on 19th July 2017; **Accepted** 19th July 2017

ARTICLE

49 वर्ष की शिक्षाविदों की तपस्या एक आदेश में ध्वस्त होने के कगार पर

भारत में एनसीटीई, क्षैत्रीय कार्यालय एवं अध्यापक शिक्षा

*** डा.डी.पी.सिंह, सीएमडी**
कमलवाणी 90.4 एफएम, कोलसिया, झुन्झुनू, राजस्थान
Email- drdp91@gmail.com, Mobile – 9001005900, 9413366451
Website – www.kamalnishtha.org, Google App - kamalvani

मुख्य शब्द – एनसीटीई, क्षैत्रीय कार्यालय, सलाहकार समिति, एनसीईआरटी, अध्यादेश आदि.

''एक राष्ट्र, एक विषय, एक नीति'', व्यवस्थित एवं समय के अनुरूप प्रगति के लिए आवश्यक है। असंगठित विषय प्रगति में सदैव बाधक होते है। इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए 1968 की कोठारी आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की अनुपालना में 1973 में एनसीटीई का गठन किया गया। इसने अपने प्रारंभिक काल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अध्यापक शिक्षा के लिए एक सलाहकार समिति के रूप में कार्य किया, जोकि एनसीईआरटी के एक विभाग के बतौर कार्य कर रही थी। किन्तु औपचारिक संवैधानिक कार्यक्षैत्र नहीं होने के कारण यह अपने उद्येश्य पूर्ण करने में असफल रही। परिणामतः 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गयी।

एनसीटीई 17 अगस्त 1995 को National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993) के द्वारा संवैधानिक संगठन के रूप में जम्मू काश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागु हुआ। इस प्रकार 1968 से लेकर आज तक 49 वर्ष का लम्बा संघर्ष–तस्सव्वुर–चिन्तन की परिणाम एनसीटीई है। पूरे देश में अध्यापक शिक्षा से जुड़े आबद्ध विद्वत्जन के लिए किसी दीवाली की खुशी से कम नहीं था। यह पल अध्यापक शिक्षा के इतिहास में वैसा ही दिवस था, जैसा देश की आजादी का दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए है। यह सच में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के **''सबका साथ, सबका विकास''** की सार्थकता के अनुरूप है। इस प्रकार दबी–कुचली अव्यवस्थित, असंगठित अध्यापक शिक्षा राष्ट्र निर्माण को आधार प्रदान करने के लिए आकार लेने लगी।

इस परिषद के गठन का मूल उद्येश्य अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार के साथ ही गुणवता के लिए नवाचार एवं अनुसंधान को प्रमुखता से बढ़ावा देना था तथा पूरे राष्ट्र की अध्यापक शिक्षा को बारीकी से तथा निकटता से संभालते हुए मार्गदर्शन प्रदान कर आगे बढ़ाना था।

इस योजना के मूल आकार का निर्धारण शिक्षाविदों का संवेदनशील चिन्तन पर आधारित था, जो कि शिक्षण की बारीकियों तथा राष्ट की भावी पीढ़ी को आकार देने वाले उच्च स्तरीय अध्यापकों का निर्माण करने के लिए था, जिनका मूल कार्य राष्ट की भावी पीढ़ी की भावनाओं को राष्ट निर्माण हेतु ढ़ालना रहा था। शनैः–शनैः शुद्ध भावनाओं से शुरू किया गया यह यज्ञ भ्रष्टाचार, सौदेबाजी का अड्डा बन गया तथा शिक्षाविदों के हाथों से खिसकते हुए अध्यापक–शिक्षा से अनभिज्ञ नौकरशाहों (कभी ज्यूडिसियरी, कभी प्रशासनिक अधिकारी, कभी अध्यापक शिक्षा असम्बद्ध लोग) के हाथों में चलता चला गया, जो कि आज अपने चरम पर शुद्ध नौकरशाहों का तानाशाह दरबार बनकर रह गया है, जिन्हें पांच–सितारा आलीशान भवनों में बैठकर झरोखा दर्शन देने तथा कागजी हेराफेरी करने के लिए ही पारंगत किया जाता है। इसके साथ इस विशेष वर्ग को अपनी बात मनवाने के लिए आमजन को भयाक्रांत बनाने में माहरत हासिल होती है।

एनसीटीई के माध्यम से विविधता एवं विशालता वाले पूरे भारत की 'अध्यापक–शिक्षा' में सुधार कर सरस उन्नति के लिए गठित किया था, अतः देशभर में आवश्यकतानुरूप मार्गदर्शन हेतु प्रादेशिक समितियों का गठन नीति के आधार के रूप में तय किया गया था। ये प्रादेशिक समितियां आरंभ में चार होंगी, जिन्हें आगे और भी बढ़ाया जायेगा तथा अध्यापक शिक्षा को प्रभाशाली बनाने के लिए एनसीटीई 'स्रोत–केन्द्र' का कार्य करेगी।

वर्तमान परिस्थितियों में सुदीर्घ अवधि की तपस्या से पल्लव्वित एनसीटीई को पल भर में एक नादान निर्णय की भेंट चढ़ाया जाकर मरणासन्न मार्ग की और अग्रसर किया जाने लगा है। प्रत्येक प्रदेश में आरंभ किये जाने के चिन्तन को ही समाप्त किया जा रहा है। विकेन्द्रीकरण की बजाऐ केन्द्रीकरण पर बल दिया जा रहा है। जिस दिल्ली की सड़कों पर पहले से ही अत्यधिक भार है, उसे और बढ़ाया जा रहा है। यदि यही ठीक है तो इंदिरा गांधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस के क्षेत्रीय कार्यालय तथा एनसीईआरटी के क्षेत्रीय महाविद्यालयों को भी बंद करके तकनीकी का सहारा लेते हुए नई दिल्ली स्थित कार्यालयों से ही संचालित किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए।

इस प्रकार अध्यापक शिक्षा को मात्र 'यांत्रिकी' बनाया जा रहा है, जबकि यह कार्य भावनाओं पर आधारित कार्य है। यदि इसे तत्काल नहीं रोका गया तो परिणाम भय एवं भ्रम से उत्पन्न होंगे। यह राष्ट्र की आने वाली पीढ़ी के निर्माण की दिशादायिनी अध्यापक–शिक्षा को मात्र यांत्रिकी स्वरूप प्रदान करने वाला निर्णय है। **कार्यालय की कार्यप्रणाली में महारत हासिल बाबुराज का आलम यह है कि एनसीटीई द्वारा नवम्बर 2014 को लागु किये गये नये अधिनियम में रही संवैधानिक खामियों के बारे में जानने के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी से बात की गयी, तो उन्होंने स्पष्टत् कहा कि हस्ताक्षर से पहले नये अधिनियम को उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। अर्थात् बिना पढ़े ही अधिनियम को हस्ताक्षरित कर दिया, जिस अधिनियिम ने पूरे देश में अध्यापक शिक्षा को प्रत्यक्षतः एवं सामान्य शिक्षा को दूरगामी**

अप्रत्यक्षतः झकझोर कर रख दिया। हस्ताक्षर से पूर्व अधिनियम को नहीं पढ़ा गया, इस बात के सबूत लेखक के पास उपलब्ध है। किन्तु किन्हें बताये?? सभी सत्ता और शक्ति के नशे में सराबोर मदमस्त हाथी की भांति है।

एनसीटीई के प्रादेशिक कार्यालयों को समाप्त कर प्रदान किये जा रहे यांत्रिकी स्वरूप के नुकसान को इस प्रकार जाना जा सकता है –

1. यह यांत्रिकी परिवर्तन भारत की संसद द्वारा पारित एक्ट की मूलभावना एवं प्रावधानों के विपरीत कृत्य है, जो कि संसद की तौहीन के रूप में जाना जा सकता है।
2. यह यांत्रिकी परिवर्तन बिना पर्याप्त अध्ययन–विचार–विमर्श के किया गया कृत्य है, जो कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के भी विपरीत है। इसे लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ बलात् किया गया भद्दा मजाक कहा जा सकता है।
3. भारतवर्ष की विशालता एवं विविधता के अनुकूल वास्तविक फीडबैक प्राप्त होने की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।
4. अध्यापक शिक्षा को विकेन्द्रीकरण की बजाए केन्द्रीकरण की तरफ ले जाने से स्थान विशेष की शिक्षण संस्थानों को अपनी स्थानीय समस्याओं के निकटस्थ निदान का रास्ता बंद हो जायेगा।
5. इग्नू, एनआईओएस, एनसीईआरटी के विकेन्द्रीकरण सफल ढ़ाचे से प्राप्त होने वाले सकारात्मक निष्कर्षों की अनदेखी की गयी है।
6. एनसीटीई के मूल एक्ट में प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने की बात कही गयी है, उन्हें समाप्त करने का उल्लेख नहीं है। फलत् वर्तमान निर्णय एक्ट के प्रावधानों एवे भावनाओं खिलाफ है।
7. एनसीटीई मात्र प्रशासनिक कार्यालय ही नहीं हैं, बल्कि इससे कहीं अधिक अनुसंधान एवं नवाचारों के लिए कार्य करना महत्वपूर्ण उद्येश्य है, जिसकी पूरी तरह अवहेलना की गयी है।
8. अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले केन्द्रों को अकादमिक मार्गदर्शन प्राप्त होना एवं अनुसंधान होने की संभावनायें ही समाप्त हो जायेंगी।
9. एनसीटीई का कार्यालय मात्र दिल्ली में होने पर दूरदराज में फैले भारतवर्ष में स्थित अध्यापक शिक्षा केन्द्रों के लोगों को अपनी प्रशासनिक समस्याओं के निदान के लिए दिल्ली ही आना होगा। परिणामत् उन्हें अनावश्यक यात्रा, अपव्यय को झेलना होगा तथा पहले से व्यस्त दिल्ली की व्यस्तता में ईजाफा होगा।

यदि समय रहते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को अध्यापक–शिक्षा की संवेदनशील बारीकियों से अनभिज्ञ नौकरशाहों से मुक्त नहीं करवाया गया, तो निसंदेह यह अध्यापक–शिक्षा के लिए भारत में अन्तिम दौर होगा तथा इस सब के लिए हम जिम्मेदार होंगे। एनसीटीई की मूल भावना प्रत्येक अध्यापक–शिक्षा से जुड़े जन तक पहॅूचकर बल देना था, जबकि वर्तमान में इसके विपरीत यांत्रिकीकरण कर समाप्त किया जा रहा है।

इस दिशा में जो किया जाना चाहिए –

1. एनसीटीई के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर तत्काल अकादमिक विशेषज्ञ की नियुक्ति की जानी चाहिए। ध्यातव्य है कि अध्यक्ष पद गत एक वर्ष से अकादमिक विशेषज्ञ नियुक्त नहीं है एवं उपाध्यक्ष पद गत चार वर्ष से पूर्णत् रिक्त है।
2. एनसीटीई की मूल भावना को जीवित रखा जाये तथा प्रत्येक प्रदेश में एक–एक प्रादेशिक कार्यालय आरंभ किये जाये।
3. अध्यापक–शिक्षा से संबंधित तमाम योजनाओं यथा – आईएएसई, सीटीई, डाईट को एनसीटीई के अधीन किया जाये।
4. प्रत्येक प्रदेश में कम से कम एक–एक अध्यापक–शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय में अध्यापक–शिक्षा के तमाम 19 विभाग स्थापित किये जाये।
5. एनसीटीई को मात्र प्रशासनिक कार्यालय बनाने की बजाऐ अनुसंधान (Research), नवाचार (Innovation) एवं विस्तार (Extension) पर बल देना चाहिए।
6. नीति परिवर्तन से पूर्व पर्याप्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान किया जाये तथा यह कार्य अध्यापक–शिक्षा क्षेत्र के अकादमिक विशेषज्ञों के द्वारा करवाया जाना चाहिए।
7. अकादमिक विशेषज्ञों का कार्यक्षेत्र कार्यालय की कार्यप्रणाली में महारत हासिल किये बाबूराज से मुक्त अकादमिक विशेषज्ञों को सौपा जाना ही सार्थक रहेगा।
8. सबसे महत्वपूर्ण सामान्यजन की मेहनत की कमाई का हिस्सा, जो कि सरकार विविध टैक्स आदि के रूप में वसूल करती है, उस धनराशि को इस प्रकार के नकारा प्रयोगों के लिए विभिन्न आयोजन के नाम पर बर्बाद करने वाले दोषी लोगों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

इस प्रकार भारत की अध्यापक शिक्षा, जिसे 1968 से अब तक बहुत ही तस्सव्वुर–विश्वास के साथ सींचा गया है, उसे आज के बाबुराज से मुक्त करवाया जाना उतना ही जरूरी है, जितना 1947 में भारत को अंग्रेजों के चंगुल से बचाया जाना जरूरी था।

लेखक संपर्कसूत्र
* डा.डी.पी.सिंह, सीएमडी
कमलवाणी 90.4 एफएम, कोलसिया, झुन्झुनू, राजस्थान
Email- drdp91@gmail.com, Mobile – 9001005900, 9413366451
Website – www.kamalnishtha.org, Google App - kamalvani